

Office of the District Collector
Kangra at Dharmshala

No. 701 /DRA Dated 6 May 15.

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Govt. of India's letter No.11-9/98-FC(pt.)dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes. It is certified that 00-99-25 hecta of forest land proposed to be diverted in favour of Tourism Department in Kangra Disstt. falls within jurisdiction of Billing village in ~~Billingmath~~ Tehsil.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 00-99-25 hecta of forest land proposed for Diversion. Copy of record of all Consultations and meetings of the Forest Rights Committee, Gram Sabha Sub Divisional Level Committee and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to I.
- (b) the proposal for such diversion (with full detail of the project and its implications, in vernacular/local) have been placed before (each) concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under FRA.
- (c) the Gunehar Gram Sabha has certified that all formalities / process under the FRA have been carried out, and that they have given their consent of the proposed diversion and the compensation and ameliorative measure if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha Gunehar enclosed as annexure IV.
- (d) The discussion and decision on such proposal had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present,
- (e) The diversion of forest land and for facilities managed by the Govt. as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha has been given their consent to it,
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguard as per section 3(1) of the FRA.

Comments

C Paul Rasu,IAS
Distt Collector
Kangra at Dharmshala



Encl. As above.

Office of Sub-Divisional Officer (C), Baijnath, Distt. Kangra H.P.

Proceedings of the meeting of the Sub-Division Level Committee Constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Division Level Committee of Baijnath Sub-Division, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr Rughved Thakur, IAS, Sub-Divisional Officer (Civil), Baijnath on 23-3-2015 11 A.M. at SDM Office Baijnath in which the resolution No. 01 dated 10-03-2015 of Gram Sabha Gunehar was considered along with resolution 1 dated 10-03-2015 of Forest Right Committee Gunehar.

As informed by Gunehar Gram Sabha, the process for establishing rights under FRA 2006 is under process, however the resolution stated that the Gram Sabha has no objection if the proposed forest land measuring 0-99-25 hect. is diverted to tourism department for the Paragliding takeoff point.

The matter was discussed in the SDLC meeting and taking in to account the NOC granted by the Gram Sabha, the SDLC has come to the conclusion that it has no objection if the proposed land comprised in Khata No. 108 Khatoni No. 169 min in khasra No. 510/1 land measuring 0-29-93 hect. and Khasra No. 511/1 land measuring 0-69-32 hect. kita 2 land measuring 0-99-25 hect. in Mohal Billing Mouja Bir, Tehsil Baijnath Distt, Kangra H.P. is transferred to tourism department for the paragliding takeoff point.

Place :- Baijnath

Dated :- 8th April, 2015.


**Sub-Divisional Officer (Civil),
Sub Divisional Officer (C)
Cum- Chairman Sub-Division Level Committee,
Baijnath (Kangra) H.P.
Baijnath, Distt. Kangra (H.P.) 176125.**

વન અધિકાર કમેટી ગુનેછદ

ग्राम पंचायत गुनेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिंदू प्र०

प्रस्ताव संख्या Q1

दिनांक : १०-०३-२०१५

विषय :- अनुशीलित जनजाति और अन्य परम्परागत कला निवारी (का अधिकारी की मान्यता) छात्रविनियम २००६ के तहत दुरिज्मनिय के जाग अनापति प्रमाण पत जारी करने जारे।

अत! प्रस्तव का आठ वीजनाथ जी की सेवानी आजमी
 प्रतिलिपि: श्रीगान छपमण्डल आधिकारी जा० वीजनाथ जी की सेवानी आजमी
 प्रतिलिपि सुलातुमार आस्तल है!

प्रतिलिपि सुलातुमार अस्तल ^{है}।

10.03.2015
गुरुवार

५८७

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा.....छुलेहड़

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....८४

दिनांक १०-०३-२०१५

वन अधिकार समिति, ग्राम सभा.....छुलेहड़ की बैठक आज
दिनांक १०-०३-२०१५ को ११.०२ बजे, स्थान छुलेहड़ पेयायतोल्क में
श्री/ श्रीमति.....छुलेहड़ की अध्यक्षता में की गई जिसमें छुलेहड़
गांव/गावों के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों
से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम
२००६ के अन्तर्गत.....लिलिंग जंगल/वन क्षेत्र से सम्बन्धित वन
अधिकारों के दावे हेतु प्राप्त आवेदनों पर चर्चा की गई, जिसमें **
..... के निर्माण के लिए ०१.८.०९.२५ हैक्टेयर वन के उपयोग भूमि की मंजूरी प्रस्तावित
है।

वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा
के उपरान्त यह समिति इस नतीजे पर पहुंची कि श्री/ श्रीमति.....छुलेहड़ का
जंगल/वन क्षेत्र में.....लिलिंग के लिए अधिकार हेतु दावा नियमानुसार
सही पाया गया/ सही नहीं पाया गया। तदानुसार समिति इस दावे को पारित करते हुए इसे उप
खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती हैं/ तदानुसार समिति इस दावे को निरस्त करती है।

स्थान.....छुलेहड़
दिनांक १०-०३-२०१५

ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत अधिकारी.....८१
ग्राम पंचायत, छुलेहड़
वि. ख. वेजताराम (कांगड़ा) डि.प्र

** प्रोजैक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के
उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत छुनौलड़ी
विकास खण्ड बीजानीय जिला कोशलगढ़ी (हिं0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

अध्यक्षता श्री/ श्रीमति राजेश उमा र ८००/८

गणपूर्ति ७/९/

दिनांक ०८-०३-२०१५

प्रस्ताव संख्या ०६

विषय: बीलिंग ईसॉफ्ट पार्क की भूमि के द्वारा विभाग/संस्था को
के निर्माण हेतु
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित रुप
मंजूरी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु।
हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की

ग्राम पंचायत छुनौलड़ी
दिनांक ०८-०३-२०१५ को बजे, स्थान शुनौलड़ी
प्रस्तावित रुप में की गई, जिसमें द्वारा
को के निर्माण हेतु
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित रुप हैक्टेयर वन
भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि ग्राम पंचायत को उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर वी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह परित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कर ली गई है तथा प्रस्तावित रुप हैक्टेयर वन भूमि को द्वारा विभाग की सहमति दी जाती है।

स्थान शुनौलड़ी
दिनांक ०८-०३-२०१५

ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत अधिकारी

प्राप्त वायन शुभदेश
वि. ख. बंजनाथ (कांगड़ा) हि.प्र